

फा. संख्या 349/94/2018-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर (सभी) /

प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

**विषय:** जीएसटी के तहत आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति से संबंधित समस्याओं का स्पष्टीकरण और इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली - की बावत।

जीएसटी कानूनों के तहत कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जिस की जांच की गई है और इस विषय पर स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	मामले	स्पष्टीकरण
1.	क्या आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति (CTP) के रूप में पंजीकरण करते समय अग्रिम कर के रूप में जमा की जाने वाली आवश्यक राशि, अनुमानित सकल कर देयता का 100% होनी चाहिए या नकद में देय अनुमानित कर देयता की गणना आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति (CTP) के लिए उपलब्ध योग्य पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में कटौती के बाद की जानी चाहिए?	<p>1. यह ध्यान दिया जाए कि एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकरण का आवेदन करते समय, FORM GST REG-1 (S. No. 11) में केवल "अनुमानित शुद्ध कर देयता" के बारे में जानकारी मांगी जाती है, न कि सकल कर देयता की जानकारी मांगी जाती है।</p> <p>2. तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि अग्रिम कर की राशि जिसे एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति को पंजीकरण प्राप्त करते समय जमा करवाया जाना आवश्यक है, की गणना योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट पर विचार करने के बाद ऐसे करदाता द्वारा पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट पर विचार करके की जानी चाहिए।</p>

<p>2.</p>	<p>केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (एतदपश्चात उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) कि धारा 27 के अनुसार, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति द्वारा संचालन की अवधि नब्बे दिन है उचित अधिकारी द्वारा ऐसी अवधि को बढ़ाए जाने का प्रावधान है जो कि 90 दिनों से अधिक का नहीं हो सकता है। कानून में अनिवार्य 180 दिनों की अवधि से परे उक्त अवधि के और विस्तार के लिए विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।</p>	<p>1. यह स्पष्ट किया जाता है कि लंबे समय तक चलने वाली प्रदर्शनियों (180 दिनों से अधिक की अवधि) के लिए, करदाता को आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसे व्यक्ति द्वारा एक सामान्य करदाता के रूप में पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा।</p> <p>2. सामान्य पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय उक्त व्यक्ति को आवंटन पत्र की एक प्रति अपलोड करनी होगी, जिसमें उसे प्रदर्शनी के लिए परिसर का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई हो और आवंटन पत्र / सहमति पत्र को उसके व्यवसाय के स्थान के प्रमाण के रूप में उचित दस्तावेज माना जाए। ।</p> <p>3. ऐसे मामलों में उसे पंजीकरण के उद्देश्य से अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।</p> <p>4. एक बार प्रदर्शनी खत्म हो जाने के बाद वह ऐसे पंजीकरण को सरेंडर कर सकता है।</p>
<p>3.</p>	<p>सीजीएसटी अधिनियम की धारा 20 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन में एक इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा वितरित अतिरिक्त क्रेडिट की वसूली के प्रकारों को जानने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं</p>	<p>1. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, जहां आईएसडी सीजीएसटी अधिनियम की धारा 20 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन में क्रेडिट वितरित करता है, जिसके परिणामस्वरूप क्रेडिट के एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को क्रेडिट का अधिक वितरण होता है, ऐसे वितरित किए गए अतिरिक्त क्रेडिट को ऐसे प्राप्तकर्ताओं से ब्याज सहित लिया जाएगा और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है, यदि कोई हो।</p> <p>2. प्राप्तकर्ता इकाई जो कि आईएसडी से अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर चुकी है, उक्त अतिरिक्त राशि ब्याज सहित <b>FORM GST DRC-03</b> के माध्यम से स्वेच्छापूर्वक जमा करवा सकती है ।</p>

	<p>3. यदि उक्त प्राप्तकर्ता इकाई स्वेच्छा से ऐसा नहीं करती है, तो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या 74 के प्रावधानों के तहत उक्त इकाई के खिलाफ जैसा कि मामला बनता है आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाएगी। कर अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों में <b>FORM GST DRC-07</b> का उपयोग किया जा सकता है।</p> <p>4. यह स्पष्ट किया गया है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 (1) (ix) के प्रावधानों के तहत इनपुट सेवा वितरक एक सामान्य दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।</p>
--	--

2. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री के प्रचार के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जा सकते हैं।
3. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कठिनाई, यदि कोई हो, तो बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है।

(उपेंद्र गुप्ता)  
आयुक्त (जीएसटी)